न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 11/2018 बउनवानी रामफूल पुत्र मादया माली बनाम रामनारायण पुत्र पांच्या माली वगै. जाति माली निवासी मित्रपुरा तहसील बौंली

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. ता अहकामा जो हुकम की तामील मे जारी हुआ
9.9.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट एवं स्वंय अपीलान्टगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनवानी अपील श्रीमान के न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बौंली के आदेश दिनांक 7.7.2015 के विरूद्व पेश की गयी है जो पक्षकारान के मध्य लोक अदालत में अधीन धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत धोखे से कराये गये तकासमा आदेश के विरूद्व की गयी है। अपीलान्टगण को गलत विधिक सलाह पूर्व के अधिवक्ता द्वारा देने के कारण राज. काश्त.अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किये गये आदेश के विरूद्व धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपील गलती से श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी है जिसे अपीलान्टगण विड्रो कर सक्षम न्यायालय में अपील पेश करना चाहते है। अतः अपीलान्टगण की अपील को विड्रो करने की अनुमति सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने की शर्त के साथ प्रदान की जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया। वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से अधीनस्थ न्यायालय में हुए सहमति/राजीनामा से हुए बटवारें के विरूद्व यह अपील पेश की गयी है तथा सहमति/राजीनामा के आधार पर पारित आदेश की अपील पोषणीय नही है एवं उक्त अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार भी श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त नही है । वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के बाद संबंधित मिसल का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय मे उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत की गयी है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय राज.काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 53 के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसके विरूद्व प्रस्तुत अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। अतः अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त अपील चलने योग्य नही होने के कारण अपीलान्टगण की ओर प्रस्तुत विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्टगण विड्रा की जाती है। अपीलान्टगण सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (डॉ0एस0पी0सिंह) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.19 17:57:54 IST
Reason: SelfAttested